भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *58
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 06 फरवरी, 2023
17 माघ, 1944 (शक)

उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण

*58. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) उक्त सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण और विकास के लिए सरकार द्वारा उक्त वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की गई है तथा तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, विशेषकर जिला रामपुर में नए सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं अथवा स्थापित किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को जिला रामपुर और उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत स्थलों के खराब रखरखाव के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 06.02.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 58 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 3696 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में, जब कभी आवश्यकता होती है, संरक्षण कार्य करता है। स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और सभी स्मारक/स्थल भली-भांति परिरक्षित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और विकास पर खर्च की गई कुल निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(ग): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उत्तर प्रदेश, विशेषकर जिला रामपुर में नए सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूरे देश में राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों/स्थलों की संरक्षा और रख-रखाव करता है।

(घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जिला रामपुर और उत्तर प्रदेश में स्मारकों/स्थलों के खराब रख-रखाव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। केंद्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल भली-भांति अनुरक्षित हैं।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 06.02.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 58 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण एवं विकास पर हुए व्यय का विवरण

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंडल / शाखा	2019-20	2020-21	2021-22
			व्यय	व्यय	व्यय
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा	13.55	12.96	19.35
		झांसी _ _	-	1.00	4.15
		लखनऊ	5.60	3.88	10.44
		सारनाथ	3.20	4.38	5.50
		मेरठ	-	0	2.80
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	6.09	3.16	7.99
		मुंबई	9.50	11.00	12.00
		नागपुर	5.40	4.00	4.50
3.	कर्नाटक	बैंगलोर	11.10	5.27	9.75
		हम्पी	10.00	9.10	8.00
		धारवाड़	7.45	6.40	7.32
4.	मध्य प्रदेश	भोपाल	12.50	11.50	11.50
		जबलपुर	-	3.50	4.75
5.	ओडिशा	भुवनेश्वर	5.30	3.63	8.23
6.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	8.10	6.02	7.57
7.	सिक्किम	रायगंज	-	1.35	5.00
8.	तमिलनाडु , पुडुचेरी (यूटी)	चेन्नई	9.60	5.25	8.00
	तमिलनाडु	त्रिची	-	2.00	4.00
9.	पंजाब	चंडीगढ़	1.57	0.80	1.50
	हरियाणा				
10	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.15	1.25	1.15
1 1	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	दिल्ली	23.10	20.82	19.08
		दिल्ली लघु मंडल	7.15	3.69	--
12.	गोवा	गोवा	2.20	3.70	7.00
13.	असम	गुवाहाटी	3.40	3.04	3.30
14.	मणिपुर	आइजोल	1.00	1.32	1.25
	मेघालय				
	मिजोरम				
	नागालैंड				
	त्रिपुरा				
	अरुणाचल प्रदेश				
15.	राजस्थान	जयपुर	4.89	7.40	7.53
		जोधपुर	5.39	4.10	4.50
16.	तेलंगाना	हैदराबाद	5.35	2.80	6.80
17.	आंध्र प्रदेश	अमरावती	5.15	4.57	5.75
18.	बिहार	पटना	1.45	1.23	3.35
19.	जम्मू और कश्मीर ((संघ राज्य क्षेत्र))	श्रीनगर	1.55	0.80	2.55
		लघु मंडल, लेह	0.28	0.20	0.43
20.	केरल	त्रिशूर	4.50	2.03	6.82
21.	गुजरात दमन और दीव ((संघ राज्य क्षेत्र))	वडोदरा	7.00	6.36	8.00
	गुजरात	राजकोट	-	0.99	2.50
22.	उत्तराखंड	देहरादून	3.59	4.60	3.75
23.	छत्तीसगढ	रायपुर	3.00	2.89	4.78
24.	झारखंड	रांची	1.60	0.88	1.16
		रासायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	3.34	3.80	6.48
		बागवानी गतिविधि (अखिल भारतीय)	38.10	44.75	19.32
		महानिदेशक का कार्यालय	202.23	44.42	11.73
		रिज़र्व	-	-	0
		कुल	**435.38**	**260.84**	**269.58**

*****